

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैंक्स 0141-2742309, ई मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प2 (क)/अलेसे I लिंक न. 3521 / 941

दिनांक :- 17/01/2019

कार्यालय आदेश

18/04/2019

श्री /श्रीमती / सुश्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा [लिंक नं. 3521] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, गृह विभाग, जयपुर - [171] जिनकी जन्म तिथि 04/04/1959 है, ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 01/02/2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध किया है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996, के नियम 50 (1) के अन्तर्गत इन्हें दिनांक 01/02/2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 18/06/1988 है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।


(मुकुन्द सोहानी)
निदेशक

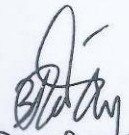
क्रमांक :- प2 (क)/अलेसे I लिंक न. 3521 / 941

दिनांक :- 17/01/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

18/04/2019

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
3. निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, गृह विभाग, जयपुर
4. कोषाधिकारी जयपुर
5. श्री /श्रीमती / सुश्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा [3521] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, गृह विभाग, जयपुर
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
- ✓ 7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट


(अरविन्द दीक्षा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)